

**भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 924

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

पिछड़े और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में सीएसआर से व्यय की गई निधियां

924. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत विभिन्न उपक्रमों द्वारा कितनी निधियों का आवंटन किया गया है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान क्षेत्रवार और मदवार, विशेषकर देश के पिछड़े और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में कितनी राशि खर्च की गई और इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;
- (ग) क्या उत्तर प्रदेश के पिछड़े और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों विशेषकर शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीएसआर के अंतर्गत धनराशि खर्च करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): सीएसआर विधिक ढांचे के अंतर्गत सीएसआर निधियों के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत प्रदान किया गया है। अधिनियम के तहत, प्रत्येक सीएसआर अधिदेशित कंपनी को एक सीएसआर समिति का गठन करना होगा। समिति सीएसआर नीति तैयार करती है और उसकी सिफारिश करती है और कंपनी का बोर्ड कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाता, उन पर निर्णय लेता, उनका निष्पादन करता है और उन पर निगरानी करता है।

(ख): कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल किए गए सीएसआर से संबंधित सभी आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इन्हें www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियों द्वारा वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान आकांक्षी जिलों में सीएसआर के तहत राज्यवार, जिला-वार और विकास क्षेत्र-वार खर्च की गई राशि क्रमशः अनुलग्नक-I, अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न है।

जारी...2/-

(ग) और (घ): चूंकि कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलाप का प्रारंभ, प्रबंधन और निगरानी किसी कारपोरेट द्वारा की जाती है, इसलिए सरकार किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कार्यकलाप में खर्च करने के संबंध में कंपनियों को विशिष्ट निदेश जारी नहीं करती है। कंपनी के बोर्ड को कंपनी की सीएसआर नीति को अनुमोदित करना अपेक्षित है। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4 (5) के तहत कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होता है कि इस प्रकार वितरित धन का उपयोग इसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों के लिए और तरीके से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा। इस प्रकार, मौजूदा कानूनी प्रावधानों जैसे अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के लेखाओं की सांविधिक लेखा परीक्षा के प्रावधान आदि के साथ-साथ, कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित सीएसआर कार्यकलापों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। मंत्रालय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखता है।

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 924 के उत्तर में 10.02.2025 के लिए निर्दिष्ट अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2022-23 तक भारत में आकांक्षी जिलों के लिए राज्यवार सीएसआर व्यय (रुपये करोड़ में)				
क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23
1	आंध्र प्रदेश	69.73	122.45	154.57
2	असम	9.69	61.01	69.05
3	बिहार	14.79	45.06	87.79
4	छत्तीसगढ़	46.53	54.99	68.94
5	गुजरात	96.40	54.38	33.59
6	हरियाणा	4.87	15.49	51.44
7	हिमाचल प्रदेश	5.68	12.99	11.26
8	जम्मू और कश्मीर	10.86	7.05	7.29
9	झारखंड	51.65	153.35	262.58
10	कर्नाटक	5.48	20.87	9.86
11	केरल	1.43	3.33	4.86
12	मध्य प्रदेश	99.60	123.06	154.79
13	महाराष्ट्र	41.83	62.91	75.07
14	मणिपुर	--	0.78	0.54
15	मेघालय	2.37	6.15	4.33
16	मिजोरम	--	4.23	9.03
17	नागालैंड	0.14	0.14	3.88
18	ओडिशा	43.42	83.63	81.58
19	पंजाब	1.88	6.94	8.42
20	राजस्थान	27.13	37.33	92.99
21	सिक्किम	0.50	2.48	11.50
22	तमिलनाडु	31.55	33.05	33.54
23	तेलंगाना	6.28	12.08	9.96
24	त्रिपुरा	0.24	0.39	--
25	उत्तर प्रदेश	31.12	57.44	68.04
26	उत्तराखंड	48.25	64.86	88.03
	कुल	651.43	1046.43	1402.89

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 924 के उत्तर में 10.02.2025 के लिए निर्दिष्ट अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए आकांक्षी जिलावार सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये)				
क्र.सं.	सीएसआर जिला	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23
1	आदिलाबाद	2.12	8.31	9.83
2	अररिया	0.01	7.73	2.13
3	औरंगाबाद	1.48	4.64	12.04
4	बहराइच	1.76	5.18	7.92
5	बक्स	0	--	
6	बलंगीर	10.06	3.69	7.74
7	बलरामपुर	1.47	2.61	1.2
8	बांका	0.03	0.68	7.5
9	बारामूला	10.86	5.25	6.83
10	बारां	6.25	6.81	11.95
11	बारपेटा	5.23	15.14	44.52
12	बड़वानी	3.17	3.61	6.69
13	बस्तर	5.11	15.26	12.12
14	बेगूसराय	3.53	8.9	18.11
15	भद्राद्री कोठागुडेम	3.72	3.53	0.11
16	बीजापुर	1.79	--	--
17	बोकारो	1.04	20.19	17.73
18	चंबा	5.68	12.99	11.26
19	चंदौली	1.01	6.01	6.38
20	चंदेल	--	0.78	0.54
21	चतरा	0.21	4.61	2.65
22	छतरपुर	0.84	7.22	8.03
23	चित्रकूट	0.35	1.17	4.5
24	दाहोद	93	28.73	23.67
25	दमोह	4.34	5.07	17.15
26	देतेवाड़ा	12.13	8.77	9.91
27	दरांग	4.13	41.34	14.65
28	धलाई	0.24	0.39	--
29	ढेकनाल	3.37	9	9.03
30	धौलपुर	2.85	3.37	1.72
31	धुबरी	0.02	1.34	7.16
32	दुमका	4.09	7.58	10.78
33	पूर्वी सिंहभूम	12.3	24.13	103.09
34	फतेहपुर	0.23	0.46	2.22
35	फिरोजपुर	0.66	5.82	6.7
36	गढ़चिरौली	9.32	18.09	14.55
37	गजपति	--	7.76	1.15
38	गढ़वा	0.11	0.33	0.34
39	गया	1.68	6.11	5.78
40	गिरिडीह	1.53	4.19	4.1
41	गोलपारा	0.31	0.82	0.88
42	गोड्डा	2.7	8.22	18.89
43	गुमला	0.26	1.84	2.03
44	गुना	3.92	6.71	5.79
45	हैलाकांडी	--	2.36	1.84
46	हरिद्वार	35.38	47.4	63.92
47	हजारीबाग	3.55	7.98	6.54
48	जैसलमेर	4.28	5.44	11.72
49	जमुई	0.36	0.69	8.93
50	जयशंकर	0.44	0.23	--
51	कडपा (वाईएसआर)	10.56	18.02	15.85
52	कालाहांडी	8.12	24.84	20.84
53	कंधमाल	0.04	2.86	6.14
54	करौली	10.62	12.09	16.66
55	कटिहार	0.23	0.8	0.09
56	खगड़िया	0.00	1.42	3.53
57	खंडवा	8.77	15.22	11.18

58	खूँटी	3.37		
59	कोंडागांव			3.00
60	कोरापुट	15.52	17.56	24.77
61	कोरबा	18.74	18.90	26.78
62	कुमुरम भीम आसिफाबाद			0.02
63	कुपवाड़ा		1.80	0.47
64	लातेहार		3.26	3.66
65	लोहरदगा		1.29	4.80
66	महासमुंद		0.75	0.27
67	मलकानगिरी		0.23	0.12
68	ममित		4.23	9.03
69	मेवात (नूंह)	4.87	15.49	51.44
70	मोगा	1.23	1.13	1.72
71	मुजफ्फरपुर	5.55	9.68	10.09
72	नबरंगपुर	0.47	2.52	1.71
73	नंदुरबार	23.27	24.92	30.37
74	नारायणपुर	3.24		
75	नर्मदा	3.40	25.65	9.92
76	नवादा		0.34	1.67
77	नुआपाड़ा	0.44	3.32	0.60
78	उस्मानाबाद (धाराशिव)	7.37	12.88	25.17
79	पाकुड़	0.50	2.02	1.62
80	पलामू	0.01	5.19	5.24
81	पूर्णिया	0.14	1.19	12.10
82	रायचूर	4.51	18.04	9.86
83	राजगढ़	4.68	3.97	6.51
84	राजनांदगांव	2.77	7.80	9.08
85	रामनाथपुरम	14.97	13.96	9.80
86	रामगढ़	2.75	0.05	
87	रांची	13.42	51.79	67.22
88	रायगढ़	5.39	11.86	9.50
89	री भोई	2.37	6.15	4.33
90	साहेबगंज	0.18	0.60	2.86
91	शेखपुरा		1.07	2.31
92	श्रावस्ती	0.33	4.99	3.77
93	सिद्धार्थनगर	0.56	2.63	0.40
94	सिमडेगा	0.96	4.25	3.43
95	सिक्रोलस	72.88	77.66	98.23
96	सिरोही	3.12	9.62	50.95
97	सीतामढ़ी	1.77	1.81	3.51
98	सोनभद्र	25.42	34.39	41.64
99	सुकमा	1.60	2.49	1.20
100	ल्युएनसांग	0.14	0.14	3.88
101	उधम सिंह नगर	12.87	17.46	24.11
102	उत्तर बस्तर कांकेर (कांकेर)	1.15	1.02	6.59
103	विदिशा	1.00	3.60	1.20
104	विरुधुनगर	16.58	19.09	23.73
105	विशाखापत्तनम	56.40	98.86	119.39
106	विजयनगरम	2.76	5.57	19.33
107	वाशिम	1.87	7.02	4.97
108	वायनाड	1.43	3.33	4.86
109	पश्चिम सिक्किम (ग्यालशिंग)	0.50	2.48	11.50
110	पश्चिमी सिंहभूम	4.67	5.81	7.59
111	यादगीर	0.97	2.83	
	कुल	651.43	1046.43	1402.89

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कॉर्पोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 924 के उत्तर में 10.02.2025 के लिए निर्दिष्ट अनुलग्नक(31.03.2024 तक के आंकड़े)

वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक आकांक्षी जिलों में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय				
(राशि करोड़ में)				
क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23
1	कृषि वानिकी	0.11	0.76	2.86
2	पशु कल्याण	1.66	5.75	15.51
3	सशस्त्र बल, वयोवृद्ध, युद्ध विधवाएं	0.19	1.97	0.09
4	कला और संस्कृति	3.28	8.61	8.79
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	5.71	8.42	25.04
6	पढ़ाई	201.27	261.03	368.81
7	पर्यावरणीय स्थिरता	21.73	125.68	75.44
8	लैंगिक समानता	1.2	2.66	11.75
9	स्वास्थ्य देखभाल	207.45	300.38	312.71
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	12.28	37.12	108.68
11	गरीबी, भूख उन्मूलन, कुपोषण	19.08	28.66	23.69
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	104.35	134.23	268.18
13	सुरक्षित पेयजल	10.91	12.82	22.2
14	स्वच्छता	19.7	32.15	45.35
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	2.28	1.11	3.86
16	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	0.49	0.19	0.24
17	अनाथालय की स्थापना	0.12	0.2	1.26
18	स्लम क्षेत्र विकास	0.38	0.51	0.79
19	सामाजिक-आर्थिक समानता	1.57	5.81	4.86
20	विशेष शिक्षा	2.02	2.8	8.23
21	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	0.55	0.01	--
22	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	6.77	25.13	39.19
23	व्यावसायिक कौशल	20.17	46.23	46.35
24	महिला सशक्तिकरण	6.43	4.22	9.03
25	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	1.72	--	--
	कुल योग	651.43	1046.4	1402.9

(स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।
